

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-प. 10(8)आयु./2015 पार्ट 4

जयपुर दिनांक :

--आदेश--

2015

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2013 के परिपेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों ने दिनांक 08.10.2015 तक कार्यग्रहण नहीं किया था उनकी नियुक्ति/पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश दिनांक 19.10.2015 द्वारा निरस्त कर दिया था उक्त निरस्ती के परिणामस्वरूप रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची की वरीयता अनुसार एवं संदर्गवार निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पद पर रनिंग पे-बैंड 15600-39100 एवं ग्रेड पे-5400/-संख्या 15 में 2 वर्ष के प्रोवेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालयों/औषधालयों में किया जाता है इन नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को परीवीक्षा काल के दौरान नियत पारिश्रमिक 22180/- अक्षरे (बाईस हजार एक सौ अरसी रुपये) मासिक दिया जायेगा :-

क. सं.	रजि.नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	संवर्ग	पदस्थापन स्थान
1	9152247	KUM GHYAN KANWAR	HARI SINGH TAK	13-JAN-86	Female	OBC_NC	भोपालगढ़, जोधपुर

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के आधार पर होगी।

1. उक्त नियुक्तियां एस.बी.सिविल रिट संख्या 7291/15 जसप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले तथा 10398/13 अजय फुलवारिया बनाम सरकार तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2015 अशोक कुमार एवं इसके संलग्न 50 एवं अन्य याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अन्तिम आदेश के अध्वधीन होगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की जन्म तिथि का प्रमाणीकरण सम्बन्धित जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अथवा अन्य समकक्ष द्वारा जारी अकतालिका/प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावे।
3. परीवीक्षा काल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्सको का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जायेगा तो राज्य सरकार उन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
4. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को सम्बन्धित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 20.11.2015 तक निश्चित रूप से देनी होगी। सम्बन्धित जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा उन्हें उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट पदस्थापन पर कार्य आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। इनकी प्रथम नियुक्ति जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने की तिथि से मान्य होगी।

5. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र, संतोषजनक पाये जाने के अध्याधीन रहेगी।
6. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धूमपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आज्ञा से

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश में अंकित निदेशों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें।
7. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
8. कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
9. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी- मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांकप.1 / प्रति1 / आ.चिकि. / नियु / 2015 / 17637-41

दिनांक: 4-11-15

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, जोधपुर।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, जोधपुर।
4. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को आज ही विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करावे।
5. संबंधित आयुर्वेद चिकित्सक श्री/श्रीमती.....
6. सामान्य-पावली।

(बृजेश मुदगल)
उपनिदेशक